



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020

आश्विन 2, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य अनुभाग-1

संख्या 532/90सं०-1-2020-38सं-2003

लखनऊ, 23 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

सा०प०नि०-59

संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, सभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के परामर्श से, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1976 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें)

(पंचम संशोधन) नियमावली, 2020

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (पंचम संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 14 जनवरी, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2-उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1976, में नियम 10 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (7) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

नियम 10 का
संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान उपनियम

(7) सहायक समीक्षा अधिकारी—

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।

(दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि अथवा डिप्लोमा।

(तीन) नीलिट (पूर्व डी0ओ0इ0ए0 सी0सी0 सोसाइटी) द्वारा प्रदत्त 'ओ' लेवल प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता।

(चार) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति :

प्रतिबन्ध यह है कि अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(7) सहायक समीक्षा अधिकारी—

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।

(दो) नीलिट (पूर्व डी0ओ0इ0ए0सी0सी0 सोसाइटी) द्वारा प्रदत्त 'ओ' लेवल प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता।

(तीन) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति :

प्रतिबन्ध यह है कि अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह—II,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 532/XC-S-1-2020-38S-2003, dated September 23, 2020 :

No. 532/XC-S-1-2020-38S-2003

Dated Lucknow, September 23, 2020

IN exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution, the Governor, in consultation with the Chairman of the Uttar Pradesh Legislative Council, is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Legislative Council Secretariat Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1976.

THE UTTAR PRADESH LEGISLATIVE COUNCIL SECRETARIAT SERVICE
(RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) (FIFTH AMENDMENT)
RULES, 2020

Short title
and
commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Legislative Council Secretariat Service (Recruitment and Conditions of Service) (Fifth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from January 14, 2020.

Amendment of
rule 10

2. In the Uttar Pradesh Legislative Council Secretariat Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1976, in rule 10 for sub-rule (7) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-I

Existing sub-rule

(7) Assistant Review Officer-

(i) Bachelor's Degree of an University established by law in India or equivalent qualification thereto recognized by the Government.

(ii) Bachelor's Degree or Diploma in Computer Science from any recognized Institute/University.

(iii) 'O' Level certificate from NIELIT (Formerly DOEACC Society) or equivalent thereto.

(iv) Minimum speed of 25 words per minute in Hindi Computer typing :

Provided that preference will be given to those candidates, possessing knowledge of English typing.

COLUMN-II

Sub-rule as hereby substituted

(7) Assistant Review Officer-

(i) Bachelor's Degree of an University established by law in India or equivalent qualification thereto recognized by the Government.

(ii) 'O' Level certificate from NIELIT (Formerly DOEACC Society) or equivalent thereto.

(iii) Minimum speed of 25 words per minute in Hindi Computer typing :

Provided that preference will be given to those candidates, possessing knowledge of English typing.

By order,

J. P. SINGH-II,

Pramukh Sachiv.